"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010—श्रावण 15, शक 1932

### खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2010

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्य के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है :—

| क्र. | नाम व पता | जिला उपभोक्ता फोरम |
|---|---|---|
| 1. | श्री पीलसाय मंडावी, ग्राम-गोविंदपुर, तह. व जिला कांकेर (छ. ग.) | कांकेर |
| 2. | श्री पवन शर्मा, पवन स्टोर, गीदम, जिला-दंतेवाड़ा (छ. ग.) | दंतेवाड़ा |
| 3. | श्री विमलकांत गुप्ता, स्कूल रोड, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ. ग.) | कोरिया (बैकुण्ठपुर) |
| 4. | श्री प्रमोद वर्मा, ग्राम-मेण्ड्रा, पो. सैदा, तह.-तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) | बिलासपुर |
| 5. | श्रीमति किरण जायसवाल, केदारपुर, अंबिकापुर (छ. ग.) | सरगुजा (अंबिकापुर) |
| 6. | सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, बांसपारा, धमतरी (छ. ग.) | धमतरी |
| 7. | श्री प्रकाशचंद्र सांखला, वार्ड नं. 20, गली नं. 1, सिटी हॉस्पिटल के पास, राजनांदगांव (छ. ग.) | राजनांदगांव |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दिलीप वासनीकर**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

Raipur, the 5th August 2010

NOTIFICATION

No. F 5-1/Food/2005/29.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1-B) of Section 10 of Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) State Govt. thereby appoint following candidates as Member District Consumer Disputes Redressal Forum, mentioned against each name as per recommendation of Selection Committee for 5 years or 65 years of age whichever is earlier from the date of their joining.

| S. No. | Name & Address | Distt. Consumer Forum |
|---|---|---|
| 1. | Shri Peelsai Mandavi, Vill-Govindpur, Teh & Distt.-Kanker (C.G.) | Kanker |
| 2. | Shri Pawan Sharma, Pawan Store, Geedam, Distt.-Dantewada | Dantewada |
| 3. | Shri Vimalkant Gupta, School Road, Baikunthpur, Distt. Koria (C. G.) | Koria (Baikunthpur) |
| 4. | Shri Pramod Verma, Vill-Mendra, Post-Saida, Teh-Takhatpur, Distt. Bilaspur (C.G.) | Bilaspur |
| 5. | Smt. Kiran Jaiswal, Kedarpur Ambikapur (C. G.) | Sarguja (Ambikapur) |
| 6. | Sushree Preeti Shrivastava, Banspara, Dhamtari (C. G.) | Dhamtari |
| 7. | Shri Prakash Chandra Sankhala, Ward No. 20, Goli No. 1, Nr. City Hospital, Rajnandgaon (C. G.) | Rajnandgaon |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DILIP WASNIKAR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.